कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक सं०- 149/XV

दिनांकः मई 05, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार एच०जे०एस० द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-1039/SALSA- 15/2020 (PS/ Sharan) Dated 30-04-2021 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) संख्या-1/2020 IN RE CONTIGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS के आलोक में हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त हाई पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकित 26.04.2021 के निर्देशों के दृष्टिगत निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1- जेलो में बंद विचाराधीन बंदियों एवं किशोर अपचारियों को न्यायालय के समक्ष दिनांक 30-05-2021 तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार न्यायालयों के समक्ष उपरोक्त बंदियों/किशोर अपचारियों की उपस्थिति विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से करायी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में ही अति आवश्यक होने पर न्यायहित में बंदियों/किशोर अपचारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु न्यायालय में उपस्थिति हेतु आदेशित किया जा सकता है।

2- ऐसे विचाराधीन बंदी/किशोर अपचारी जो उन अपराधो के आरोपी है, जिनमें सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, को 60 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है, किन्तु ऐसे विचाराधीन बंदी/किशोर अपचारियों को रिहा नहीं किया जायेगा जिनका उल्लेख उक्त पत्रांक के प्रस्तर 10 में उल्लिखित है। हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशों के दृष्टिगत अन्तरिम जमानत के निस्तारण हेतु प्रत्येक प्रकरण का पृथक व स्वतंत्र परीक्षण करना है। अर्थात प्रस्तर 10 व 11 का नियमतः अनुपालन करना है। अतः नामित न्यायिक अधिकारीगण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रत्येक अंतरिम जमानत के प्रकरण को परीक्षित कर अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त निर्णय लेगें।

3- पत्रांक संख्या-1042/SALSA-15/2020(PS/Sharan) Dated: 02.05.02021 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत विचाराधीन बंदियों/किशोर अपचारियों के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण विडियो कान्फेन्सिंग/वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाएगा।

4- उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए निम्न न्यायिक अधिकारी सत्र न्यायालय से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय व किशोर अपचारियों से संबंधित अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अधिकृत किया जाता है-

क्रम संख्या	पीठासीन अधिकारी का नाम व पद	सुनवाई की तिथि
1	श्री लक्ष्मीकान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट, गाजीपुर।	06-05-2021 व 07-05-2021
2	सुश्री गंगा शर्मा, सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।	06-05-2021 व 07-05-2021

3	श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रथम त्वरित न्यायालय, गाजीपुर।	11-05-2021 व 12-05-2021
4	श्रीमती शाम्भवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।	11-05-2021 व 12-05-2021

5– उपरोक्त नामित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि नियत दिनांक को जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण पूर्व निर्देशित शर्तो के अनुसार विडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। विडियो कान्फेन्सिंग में किसी प्रकार का व्यवधान होने पर इसके संबंध में अन्य माध्यम यथा जिला कारागार में जाकर अभियुक्तगण की रिहाई की कार्यवाही संबंधित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा की जाएगी।

6– नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को आदेशित किया जाता है कि वे कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत् सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट व टेक्नीकल मैन पावर को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगें जिससे जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई व अन्य आवश्यक कार्य का निष्पादन सुगमतापूर्वक किया जा सके।

7– कारागार अधीक्षक/बाल सम्प्रेक्षण गृह, गाजीपुर से ऐसे विचाराधीन बंदियों/ किशोर अपचारियों की सूची प्राप्त की जाये जिनके द्वारा कृत अपराध की अधिकतम सजा 07 वर्ष तक हो, उन्हें इस आदेश की प्रति के साथ पत्रांक संख्या–1039/SALSA–15/2020(PS/Sharan) Dated: 02.05.02021 प्राप्त करायी जाये।

8– जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे जमानत प्रार्थना पत्र की प्रतियों को जरिये ई–मेल न्यायालय को प्रेषित करेगें तथा मूल प्रति अपने पास संरक्षित रखेगें। न्यायालय द्वारा आहुत करने पर मूल प्रति न्यायालय को प्रेषित कर छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखेगें तथा उक्त की प्रविष्टि एक रजिस्टर में भी करेगें।

9– अंतरिम जमानत पर रिहा होने वाले विचाराधीन बंदी/किशोर अपचारी के द्वारा एक बंधपत्र दिया जायेगा तथा उसी बंधपत्र पर विचाराधीन बंदी/किशोर अपचारी द्वारा इस आशय का वचन पत्र(Under Taking) दिया जाएगा कि वह 60 दिन की समाप्ति पर (तिथि जो जमानत आदेश में उल्लिखित होगी) सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय में आत्मसमर्पण करेगा।

10– संबंधित न्यायिक अधिकारीगण चाहें तो जमानत आदेश में बंधपत्र के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकते हैं।

11– (A) न्यायिक अधिकारीगण प्रत्येक अंतरिम आदेश में स्पष्टतः अपराध संख्या, धारा, थाना, बंदी किस न्यायालय से संबंधित है, उस न्यायालय का नाम, रिहा होने व आत्मसमर्पण की तिथि इत्यादि अंकित करेगें।

(B) यह भी अंकन किया जाये कि जमानत आदेश की मूल प्रति संबंधित न्यायालय में मय बंधपत्र प्रेषित की जाये। जेल अधीक्षक/अक्षीधक बाल सम्प्रेक्षण गृह बंधपत्र की मूलप्रति अपने पास संरक्षित रखें एवं आहुत करने पर उन्हें न्यायालय को उपलब्ध करायें।

(C) मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय मामले में जमानत आदेश की मूल प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फौजदारी लिपिक अपनी अभिरक्षा में रखें व आदेश को एक पंजिका में अंकित करें तथा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय मामले में जमानत आदेश की मूलप्रति सत्र न्यायालय के सत्र लिपिक अपनी अभिरक्षा में रखें व आदेशों को एक पंजिका में अंकित करें।

(D) जब न्यायालय का संचालन सामान्य रुप से होने लगे, तब अंतरिम आदेशों की मूल प्रतियों को संबंधित न्यायालय को प्राप्त कराकर अंकन उक्त पंजिका में करायें। उक्त लिपिकगण छायाप्रति अपने पास

सुरक्षित रखें।

12– उपरोक्त अधिकारीगण दाखिल होने वाले अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र की सूची तैयार कराकर प्रशासनिक कार्यालय व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त करायेगें।

13– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विचाराधीन बंदी/किशोर अपचारी के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार कराने हेतु जेल अधिकारीगण, स्टाफ, पैरालीगल वालण्टियर (PLVs) पैनल लायर्स की सहायता लिये जाने हेतु आवश्यक व उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

14– उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–1042/SALSA–15/2020(PS/Sharan) Dated: 02.05.02021 के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाते समय पूर्व में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त भी अधिरोपित किया जाना सुनिश्चित करेगें कि अभियुक्त 15–15 दिन के अन्तराल में नजदीकी थाने पर जाकर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा तथा संबंधित थानाध्यक्ष संबंधित अभियुक्त की सूचना न्यायालय को प्राप्त करायेगें।

माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों की छायाप्रतियाँ समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ उपलब्ध करायी जाए।

यह आदेश दिनांक 06.05.2021 से प्रभावी होगा।

तदनुसार सभी संबंधित सूचित हों।

5/5/21

दिनांक 05.05.2021

(प्रशान्त मिश्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

संलग्नकः

1– पत्र संख्या–1039/SALSA–15/2020(PS/Sharan) Dated: 02.05.02021

2– पत्र संख्या–1042/SALSA–15/2020(PS/Sharan) Dated: 02.05.02021

पत्रांक

दिनांक मई 05, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये-

1– संबंधित न्यायिक अधिकारीगण।
2– जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
3– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
5– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
6– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।

5/5/21

दिनांक 05.05.2021

(प्रशान्त मिश्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।